संख्या-20/2021/562ई-2/तेरह-2021-23/2004

प्रेषक,

अनिल कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊःदिनांकः 01 मार्च, 2021

विषय- **मेसर्स इंडिया ग्लाइकाल्स लि., गोरखपुर की स्वीकृत पेय क्षमता 525 लाख ली. वार्षिक से बढ़ाकर 720 ली. वार्षिक किये जाने के संबंध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं.-जी-65/दो-प्रा.डी.-126/आई.जी.एल., दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 एवं पत्र सं.-जी-82/दो-प्रा.डी.-126/आई.जी.एल., दिनांक 09 फरवरी, 2021 तथा इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 19.02.2021 में लिये गये निर्णय से सम्बन्धित निर्गत कार्यवृत्त पत्र संख्या-550ई-2/तेरह-2021-23/2004, दिनांक 24.02.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं समिति द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त संदर्भित पत्र दिनांक 11.10.2019 तथा दिनांक 09.02.2021 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स इण्डिया ग्लाइकाल्स लि., गोरखपुर की अधिष्ठापित क्षमता 990 लाख लीटर वार्षिक के अन्तर्गत स्वीकृत पेय क्षमता 525 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 720 लाख लीटर वार्षिक (अधिष्ठापित क्षमता का 72.72 प्रतिशत) किए जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आसवक अवशेष औद्योगिक क्षमता 270 लाख लीटर वार्षिक के अन्तर्गत ही औद्योगिक अल्कोहल/एथनॉल का निर्माण एवं विक्रय करेंगे तथा इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (तेरहवां संशोधन) नियमावली,2019 एवं उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (पन्द्हवां संशोधन) नियमावली, 2020 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार से नियमानुसार इन्वायमेन्टल क्लीयरेन्स तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त किया जाना भी आवश्यक होगा।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in